समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्र.क...../2018

H/निगरानी/जबलपुर/भू.रा/2018/0736

निगरानीकर्ता

श्रीमति मानकुवंर बाई ट्रस्ट एवं ट्रस्ट फंड पंजीकृत लोक न्यास द्वारा प्रबंध न्यासी एवं प्रशासक श्री प्रवीण मालपाणी, प्रबंध न्यासी एवं प्रशासक निवासी– 734 हनुमानताल जबलपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

प्रत्यार्थी

1. म.प्र. शासन

2. जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यपालिक अधिकारी सिविक सेन्टर जबलपुर (म.प्र.)

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता न्यायालय तहसीलदार नजूल जबलपुर के द्वारा प्रकरण क. 54/अ–12/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2007 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, निगरानीकर्ता का पंजीकृत लोक न्यास है। जो म. प्र. सार्वजनिक ट्रस्ट एक्ट 1951 अंतर्गत होकर के उक्त ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नं. 86 है। न्यासीगणों द्वारा दिनांक 13.10.2015 को प्रस्ताव पारित कर श्री प्रवीण मालपाणी को न्यास से संबंधित प्रकरण के लिए अधिकृत किया गया है।

NOTARY RAMDAS SHARMA M.P.19/20/4/21 -B(2)2013 (M.P.)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/जबलपुर/भू0रा0/2018/0736

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/05/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, नजूल जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 54/अ-12/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 12-11-2007 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य आवेदक के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रं0 2 द्वारा ग्राम माढ़ोताल स्थित भूमि नं0बं0 660 प0ह0नं0 25/31 खसरा क्रमांक 204/9 रकबा 4.047 हैक्टर का सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन बुलाया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष न होने से प्रकरण दाखिल रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता प्रावधानों के विपरीत हितबद्ध पक्षकारों को बिना सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क दिया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा अनावेदक क्रं0 2 की भूमि से लगी हुई भूमि सर्वे नंबर 201/2 एवं 204/14 स्थित है	

-2-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

ऐसी स्थिति में आवेदक को तथा अन्य सरहदी काश्तकारों को सूचना दिए बिना किया गया सीमांकन आदेश अवैध है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक क्रमांक 2 अवैधानिक तरीके से आवेदक के स्वामित्व की भूमियों को हड़पना चाहता है । आवेदक एवं अनावेदक क्रं0 2 मध्य मध्य माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना प्रकरण प्रचिलत है । अनावेदक क्रं0 2 द्वारा अवमानना प्रकरण में जबाव प्रस्तुत किया गया उसके साथ सीमांकन के आलोच्य आदेश एवं आवेदन तथा प्रतिवेदन आदि पेश किये गये जब आवेदक को जानकारी आलोच्य आदेश की हुई । जानकारी के दिनांक से निगरानी समयसीमा में है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्रं0 1 शासन की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ । अनावेदक क्रं0 2 प्रकरण मंे एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 12-11-07 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 25-1-18 को अर्थात 10 वर्ष से अधिक विलंब से पेश की गई है । आवेदक द्वारा विलंब का जो आवेदन पेश किया गया है उसमें इतने दीर्घकालीन विलंब के संबंध कोई समाधानकारक कारण नहीं दिया गया है । आवेदन में यह कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रं0 2 द्वारा अवमानना प्रकरण में जबाव प्रस्तुत किया गया उसके साथ सीमांकन के आलोच्य आदेश एवं आवेदन तथा प्रतिवेदन आदि पेश किये गये जब आवेदक को जानकारी आलोच्य आदेश की हुई । उक्त जबाव किस दिनांक को पेश किया गया इसका कोई उल्लेख आवेदन में नहीं है । दोनों पक्षों के मध्य काफी समय से विभिन्न प्रकरण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/जबलपुर/भू0रा0/2018/0736

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	लंबित हैं ऐसी स्थिति में आवेदक का विलंब के संबंध में दिया गया तर्क विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेकों न्यायदृष्टांतों में यह निर्धारित किया गया है विलंब के संबंध में दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है जबकि इस प्रकरण में ना तो जानकारी का कोई दिनांक बताया गया है और ना ही विलंब क्षमा करने के संबंध में समाधानकारक कारण दर्शाए गए हैं । इसके अतिरिक्त प्रकरण में संलग्न सीमांकन प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक के विरूद्ध कोई बात नहीं कही है ऐसी स्थिति में सीमांकन कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण बताना उचित प्रतीत नहीं होता है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अवधि बाह्य होने तथा आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों । प्रशा0 सदस्य	